संख्या- 01/2017/387/43-1-2017-14(67)/2016

प्रेषक,

एस0एन0 शुक्ल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
प्रशासनिक सुधार विभाग,
उ0प्र0 शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 28 अप्रैल, 2017

विषय:- अनुदान संख्या- 46 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि प्रथम पॉच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2018 तक) के लिये प्राविधानित धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन के निर्वतन पर रखे जाने की सवीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-091-संलग्न कार्यालय-04-प्रशासनिक सुधार निदेशालय के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 100.43 लाख (रू0 एक करोड़ तैतालिस हजार मात्र) का लेखानुदान के माध्यम से पारित 5/12वॉ भाग अर्थात कुल धनराशि रू0 39,93,328/- (रू0 उन्तालीस लाख तिरान्नबे हजार तीन सौ अटठाइस मात्र) सॅलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जाये और किसी भी दशा में धनराशि का उपयोग नई सेवाओं और मदों पर न किया जाय।

(2) यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिटल कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय।

(4) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनॉक 06 जून, 1994 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/20172बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02-01-2017 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबंध एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मित0-1/2007, दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 का विशेष रूप से पालन किया जाये तथा राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्र्डस आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग सॅलग्नक में दर्शायी गयी मदों में ही किया जायेगा, किसी भी दशा में धनराशि का डाइवरजन बिना शासन की पूर्व अनुमति के कदापि न किया जाय तथा किसी मद में कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 का अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-091-सॅलग्न कार्यालय-04-प्रशासनिक सुधार निदेशालय के अन्तर्गत सॅलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1:348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

<u>सॅलग्नक : यथोक्त।</u>

भवदीय,

एस0एन0 शुक्ल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 01/2017/387(1)/43-1-2017 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हक0) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- लेखाकार, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-9
8- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

डा0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- /2017/387/43-1-2017-14(67)/2016, दिनांक 28 अप्रैल, 2017 का सॅलग्नक

मानक मद संख्या	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कुल प्राविधानित धनराशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु लेखानुदान के माध्यम से (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) पारित / अवमुक्त धनराशि
1	2	3
01-वेतन	76.17	31,73,750@&
03-मॅहगाई भत्ता	3.81	1,58,750@&
04-यात्रा व्यय	0.50	20,833@&
06-अन्य भत्ते	2.96	1,23,333@&
07-मानदेय	0.05	2,083@&
08-कार्यालय व्यय	0.50	20,833@&
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.30	12,500@&
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.20	8,333@&
13-टेलीफोन पर व्यय	0.20	8,333@&
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.00	1,66,666@&
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	4.00	1,66,666@&
42-अन्य व्यय	0.10	4,166@&
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.40	16,666@&
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.50	20,833@&
49-चिकित्सा व्यय	2.00	83,333@&
51-वर्दी व्यय	0.15	6,250@&
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	4.59	--
कुल योग-	100.43	39,93,328@&

(कुल धनराशि रूपये उन्तालीस लाख तिरान्नबे हजार तीन सौ अट्ठाइस मात्र)

(डा0 नन्द लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।